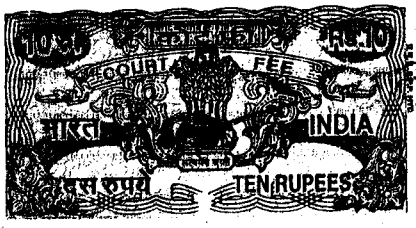

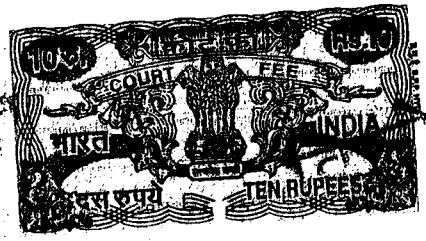

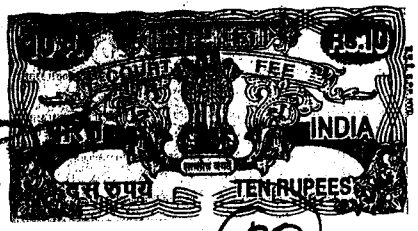

(30)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. R 1006-I-17 /2017 निगरानी

श्री एल. एस. धाकड़ एडवो. द्वारा आज दि. 30-3-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 30-3-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्राणसिंह पुत्र श्री देवलाल पाल निवासी- ग्राम दिनारा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी म.प्र............आवेदक

बनाम

मुकेश पुत्र श्री मेवालाल निवासी- ग्राम दिनारा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी म.प्र. .... अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार महोदय करैरा, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्र 25/16-17/अ-68 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है :-

(L.S. Dhakad Adv.)

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदक प्राणसिंह पुत्र देवलाल व अन्य बनाम मुकेश पुत्र मेंवाराम प्रजापति के विरूद्ध एक प्रकरण (न्यूसेस) धारा 133 जा.फो. लंबित है। इस कारण शिकायतकर्ता आवेदक के ऊपर दवाब बनाने के उदेश्य से आवेदक के विरूद्ध शिकायतकर्ता मुकेश पुत्र मेंवाराम प्रजापति ने एक झूठी शिकायत की कि दिनारा के शासकीय सर्वे न. 2711 रकवा 0.260 हैक्टेयर भूमि पाठशाला हेतु सुरक्षित है जिस पर प्राणसिह (आवेदक) ने करीब 40X100 =4000वर्ग फीट भाग पर मकान एवं बाउण्डीवाल बनाकर अवैध कब्जा कर लिया है। उक्त फर्जी शिकायती आवेदन धारा 248 म. प्र. भू-राजस्व संहिता के आधार पर तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण पंजीवद्ध किया जाकर आवेदक का सूंचित किया गया। आवेदक द्वारा विधिवत धरा 248 के आवेदन पत्र का खण्डन करते हुये जावव प्रस्तुत किया गया। उक्त जवाव में धारा 248 के आवेदन के पैरा 1 लगायत 4 को अस्वीकार किया गया व विशेष आपत्ति ली गई कि प्रतिप्रार्थी / निगरानीकर्ता का विवादित भूमि सर्वे क. 2711 के किसी भी भू भाग कोई अतिकमण नहीं किया है झूठी शिकायत की है प्रतिप्रार्थी/निगरानीकर्ता ने अपनी पत्नी के नाम से 30 X35 वर्ग फीट भूखण्ड को रामस्वरूप पुत्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निग0 1006–एक/17 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–04–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित होकर तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 25/अ–68/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 9.2.2017 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत कर ग्राह्यता एवं धारा 52 के आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किये। 2– आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक प्राण सिंह पुत्र देवलाल व अन्य बनाम मुकेश पुत्र मेंवाराम प्रजापति के विरूद्व एक प्रकरण न्यूसेस धारा 133 जा0 फो0 लंबित है। इसी से द्वैशभावना रखते हुये मुकेश प्रजापति द्वारा आवेदक के विरूद्व एक झूठी शिकायत की है कि शासकीय सर्वे न0 2711 रकवा 0.260 है0 भूमि पाठशाला हेतु सुरक्षित है जिस पर आवेदक ने करीब 4000 वर्गफीट भाग पर मकान एवं बाउण्ड्रीबाल बनाकर अबैध कब्जा कर लिया है । शिकायत के आधार पर तहसीलदार करैरा द्वारा 248 का प्रकरण पंजीबद्व कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत जबाव 248 का खण्डन करते हुये पैरा 1 लगायत 4 को	

अस्वीकार किया गया है । आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक ने यह भूमि अपनी पत्नी के नाम से 30×35 वर्गफीट भूखण्ड रामस्वरूप पुत्र नारायण प्रसाद ब्राह्म्ण निवासी दिनारा से दिनांक 9.10.1997 को 31500/— रूपये में कय किया व कब्जा प्राप्त किया तथा एक 55×35 वर्गफीट का भूखण्ड को आवेदक ने विकय अनुबंध पत्र के माध्यम से कय किया है व एक अन्य भूखण्ड निगरानीकर्ता ने रामस्वरूप से दिनांक 28.7.97 को कय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से आवेदक मकान बनाकर निवास कर रहा है व उसका उपयोग कर रहा है। आज तक किसी भी प्रकार की आवेदक के विरूद्व शिकायत नहीं की गई है। उनके द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर पटवारी से वरिष्ठ किसी अधिकारी पुनः जांच कराई जावे।

3— आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का वरीकी से अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

4— प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पटवारी द्वारा दिनांक 24.11.16 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और प्राणसिंह पुत्र देवलाल एवं कृपाराम पुत्र नाथूराम लोधी के विरुद्व रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं

अतिकमण बताया गया है, लेकिन पंचनामा की छाया प्रति लगभग 31 ग्रामवासियों के हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ के निशान है उसमें लेख है कि इनके द्वारा कोई अतिकमण नहीं किया गया है जबकि पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में किसी भी वरिष्ठ नागरिक के हस्ताक्षर नहीं है। तहसीलदार करैरा द्वारा दिनांक 9.2.17 को जो आपत्ति निरस्त की है उसमें मात्र यह आदेश पत्रिका में लेख किया है कि आपत्ति सारहीन होने से निरस्त की जाती है। यानी आपत्ति का पूर्णरूप से विवेचना नहीं की है।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह पैनल गठित कर पुनः जांच कराई जावे। उभयपक्ष सूचित हों। आदेश की प्रति के अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य